दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 02-08-2025

बैन पॉलीथिन में खाना खुले में रखा होने पर कोर्ट नाराज

सिम्स में खुले में रखा जा रहा स्टूडेंट्स का खाना, डीन से मांगा शपथ पत्र

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

सिम्स के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों और एमबीबीएस छात्रों के लिए बाहर से मंगवाया गया खाना अस्वच्छ जगह में पॉलीथिन बैग में रखा जा रहा है। घंटों बाद डॉक्टर आकर अपने नाम का पॉलीथिन ले जाकर खाना खाते हैं। इस समस्या को लेकर छपी खबर पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने सिम्स के डीन से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। अब 18 अगस्त को मामले पर सुनवाई होगी।

सिम्स के हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स और रेजीडेंट डॉक्टर बाहर से खाना मंगवाते हैं। खाना सप्लाई करने वाले पॉलीथिन के पैकेट में संबंधित का नाम लिखकर खुले में रख जाते हैं। बरसात में पॉलीथिन बैग में पैक खाना घंटों खुले में पड़ा रहता है और भावी डॉक्टर पढ़ाई और ड्यूटी खत्म कर उसी खाना को खाते हैं। इस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। राज्य सरकार ने बताया कि डिलीवरी बॉय को प्रवेश की अनुमति नहीं होने के कारण वह खाना पार्किंग शेड मेंछोड़ जाता है।

अब टिफिन में मंगा सकेंगे

इधर, हाई कोर्ट के संज्ञान लेने के कुछ घंटों बाद ही सिम्स प्रबंधन ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। डीन डॉ. रमणेश मूर्ति के आदेश जारी किया है, इसके मुताबिक अब सिम्स के हॉस्टल में पॉलीथिन पर बैन लगा दिया गया है। इसी तरह सिम्स के स्टूडेंट्स और रेजीडेंट डॉक्टर सिर्फ टिफिन में ही खाना मंगा सकेंगे। टिफिन को परिजन या गार्ड के कमरे में ही रखने कहा गया।

मेस का खाना स्तरहीन: छात्र

हॉस्टल में मेस की सुविधा है, लेकिन छात्रों का कहना है कि मेस का खाना बेहद घटिया होता है। यही कारण है कि अधिकांश छात्र बाहर से खाना मंगवाते हैं। लेकिन हॉस्टल परिसर में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध है।

मेस संचालन छात्र करते हैं

हॉस्टल में मेस का संचालन सिम्स प्रबंधन नहीं करता, इसके लिए सिम्स के छात्रों की समिति बनाई गई है। समिति ही इसकी जिम्मेदारी उठाती है। इसके बाद भी बड़ी संख्या में बाहर से खाना मंगवाया जाता है।